कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम छ.ग.

।। आदेश ।।

क्रमांक / 14260 / स्थापना / F-200V / 2017 कवर्धा, दिनांक 05 सितम्बर 2017

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया–रायपुर के आदेश क्रमांक / एफ 2–38 / सात–2 / 2016 नया–रायपुर दिनांक 08.09.2016 द्वारा **स्टेनोटायपिस्ट** के 06 रिक्त पदों के लिये सीधी भर्ती हेतु अनुमति प्रदान किया गया है। तत्संबंध में दिनांक 26.09.2016 को उक्त पदों के सीधी भर्ती हेतु वर्गवार / आरक्षण अनुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। चयन समिति की अनुशंसा उपरांत निम्न अभ्यर्थियों को **"स्टेनोटायपिस्ट"** पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 अनुसार (वेतनमान 5200–20200 / – + ग्रे.पे.1900 / – विशेष वेतन–250 / – लेवल–4) वेतन राशि 19500 / – रूपये प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय महंगाई व अन्य भत्ता पर अस्थायी रूप से निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त कर आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

स. क्रं.	आवेदक का नाम	अभ्यर्थी के निवास का पता	चयन का वर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	कु. जितेश्वरी देवांगन पिता श्री मनीराम देवांगन (अपिव)	म.क्र. 293, मोती चौक, वार्ड क्र. 10, शंकर नगर दुर्ग छ.ग.	अनारक्षित (महिला)	तहसील कार्यालय कवर्धा
2	श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत पिता श्री श्यामलाल राजपूत (अनारक्षित)	ग्राम–विचारपुर , पोस्ट–सुकली तह–लोरमी, जिला–मुंगेली छ.ग.	अनारक्षित	अनुविभागीय अधिकारी रा. बोड़ला
3	श्री प्रवीण कुमार पिता श्री बालाराम (अपिव)	सी / ओ. बुधराम साहू, श्यामाचरण शुक्ला बंगला के पास, जय स्तम्भ चौक घर नं. 28 / 405 खम्हारडीह रायपुर	अनारक्षित	जिला कार्यालय कबीरधाम
4	श्री अजय कुमार साहू पिता श्री रूपराम साहू (अपिव)	ग्राम / पोस्ट– भेंसबोड़ तह. डौण्डी, जिला बालोद छ.ग.	अपिव.	तहसील कार्यालय स.लोहारा
5	श्री हिरेन्द्र कुमार पिता श्री मनहरण (अजा)	ग्राम–भिलाई, पो.–जयरामनगर, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ.ग.	अजा.	तहसील कार्यालय पंडरिया
6	श्री अश्वनी कुमार ध्रुव पिता श्री पंचूराम ध्रुव (अजजा)	शास.आदर्श पो. मै. आदिवासी बालक छात्रावास पेंशन बाड़ा रायपुर छ.ग. (रूम नं.01)	अजजा.	तहसील कार्यालय बोड़ला

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार है :–

(1) यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक है। जांच के किसी भी प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि संबंधित नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम–1960 के नियम–12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।

(3) उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो पर देय रकम संबंधित से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(4) नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों छ0ग0सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अध्यधीन रहेंगे।

(5) संबंधित कर्मचारी की सेवायें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, तथा इस मध्य कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा सकता है। सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

(7) संबंधित अभ्यर्थियों को पदस्थी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(9) उपरोक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित 30 दिवस के भीतर उपस्थिति नहीं देने पर यह माना जायेगा कि वे इस पद में नहीं आना चाहते है,उनकी नियुक्ति निरस्त हो जावेगी। किसी भी स्थिति में समयवृद्धि का लाभ नहीं दिया जावेगा।

(10) कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वंय के पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण–पत्र (जैसे– मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसगंत पहचान पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा। जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित को जमा करना होगा।

(11) उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी अपने पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देने के पूर्व **जिला कार्यालय के स्थापना शाखा** में निम्नांकित दस्तावेजों की मूल प्रति से मिलान कराना

अनिवार्य है। उक्त मिलान उपरांत ही आपकी उपस्थित मान्य किया जावेगा। दस्तावेज गलत पाये जाने पर उक्त आदेश निरस्त माना जावेगा। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एक फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

(अ) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र अथवा अंकसूची।

(ब) उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र) साथ ही क्रीमी–लेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)

(स) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र।

(द) रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण–पत्र।

(इ) फिटनेस प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण–पत्र।

(फ) वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी त्याग–पत्र की स्वीकृति एवं प्रभार मुक्ति पत्र (वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु मात्र)

(12) उपस्थिति के समय छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। उपस्थिति के समय जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपस्थिति दिनांक से 30 दिन का समय दिया जावेगा। उसके पश्चात भी उम्मीदवार द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

(13) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण–पत्र में यदि आपराधिक गतिविधियों पाई जाती है तो सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

(14) सेवा अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, और न ही किसी राजनैतिक क्रिया–कलाप में भाग लेंगे।

(15) नवनियुक्त शासकीय सेवक हेतु शासन के आदेशानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(16) संबंधित के लिये छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 बंधनकारी होगा तथा शासन व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेश–निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

(17) उपर्युक्त परिविक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक पास न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई समस्त राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा तथा निरंतर 08 वर्ष की सेवा पंदाकित जिला में देगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है।

(18) यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(नीरज कुमार बनसोड)
कलेक्टर,
जिला–कबीरधाम

पृ. क्रमांक / 14261 / स्थापना / F-200V / 2017 कवर्धा, दिनांक 05 सितम्बर 2017

प्रतिलिपिः–

01 सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ0ग0, विधान सभा रोड, जीरो प्वाइंट रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03 आयुक्त, भू–अभिलेख,छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया–रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

04 आयुक्त, दुर्ग संभाग, हिन्दी भवन, दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

05 प्रभारी अधिकारी, वित्त शाखा जिला कार्यालय कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

07 अनुविभागीय अधिकारी रा. कवर्धा / पंडरिया / बोड़ला को सूचनार्थ।

08 जिला कोषालय अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ।

09 जिला रोजगार अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ।

10 जिला जनसम्पर्क अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

11 जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, कबीरधाम।

12 तहसीलदार, कवर्धा / स.लोहारा / पंडरिया / बोड़ला को सूचनार्थ।

13 अधीक्षक / स्टेनो–टू कलेक्टर जिला कार्यालय कबीरधाम को सूचनार्थ।

14 सर्व संबंधित श्री ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–कबीरधाम

OFFICE-COPY

[₹50/- STAMP]

------------------ The Collector Distt. Kaibrdham

WHERE AS, I ....
S/o ....R/o........................
....probationer in the (Hereinafer refferred to as the probationer) being entitled to recive from the Governor (Hereinafter) referred to as the State Government) Pay and allowances during the period in which I am under probation.

Now, We, the probationer ....
S/o ....R/o ....
and Shri ....
(surety) S/o ....R/o. ....
....(hereinafter referred to as surety) jointly and severallly, do here by promise and agree in the event of the failure of the probationer to complete probation and do serivce for minimum 8 year in Kabirdham District to the satisfaction of the State Government to refund the State Government on demand any money paid to him during his probation period including the pay and travelling expenses to join appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder shall not be effected, by the state Government extending the period of probation or giving the probationer an extention of time for payment of compounding the amount hereunder.

"Stamp duty payable or this bond shall be borne and paid by the Government.

Dated this .... day of 20

Signature of probationer ....
Full Name ....
Signed by probationer in the presence of
Name of witness ....
&
Singnature ....
Adress ....
....
Occupation ....

Name and signature of the suerty ....
Signed by surety in the presance of ;
Name of witness & Singnature ....
Adress ....
....
Occupation ....